आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की घारा 46(1)b के तहत आर०एम० वाद सं०—26 / 2014

रोपनी देवी		विक्रेता
	बनाम	
बेहारी महतो		क्रेत

23.07.22

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनाहातु के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। आवेदक एवं उनके अधिवक्ता द्वारा अनुमित वाद में किसी भी तरह का कोई अभिरूची नहीं दिखाई जा रही है यानि आवेदक को जमीन बिक्री करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

अतः उपरोक्त अनुमति वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना	खाता सं०	प्लॉट	रकबा
	स०		सं०	
माहिल	सोनाहातु	143	1107	0.72 मध्ये 0.14 डी०
		140	1079	0.15 मध्ये 0.7½ डीo

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)।